गृह मंत्रालय

मांग संख्या 44

गृह मंत्रालय का अन्य व्यय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		202.42	380.00	582.42	170.58	380.00	550.58	214.36	410.00	624.36
पूंजी		*255.78*	*...*	*255.78*	*252.62*	*...*	*252.62*	*244.14*	*...*	*244.14*
जोड़		**458.20**	**380.00**	**838.20**	**423.20**	**380.00**	**803.20**	**458.50**	**410.00**	**868.50**
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण										
पुनर्वास										
1. श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्तियों को	2235	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
राहत और पुनर्वास	3601	...	30.00	30.00	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00
	4235	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	6235	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	7601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*...*	*30.10*	*30.10*	*...*	*25.10*	*25.10*	*...*	*25.10*	*25.10*
2. अन्य देशों से स्वदेश लौटे व्यक्ति	2235	...	0.58	0.58	...	0.56	0.56	...	16.06	16.06
	3601	...	2.06	2.06	...	3.28	3.28	...	2.05	2.05
	4235	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	6235	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	7601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*...*	*2.64*	*2.64*	*...*	*3.84*	*3.84*	*...*	*18.11*	*18.11*
3. अन्य पुनर्वास कार्यक्रम	2235	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3601	...	16.76	16.76	...	15.75	15.75	...	19.50	19.50
	4235	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	6235	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*...*	*16.76*	*16.76*	*...*	*15.75*	*15.75*	*...*	*19.50*	*19.50*
जोड़-पुनर्वास		**...**	**49.50**	**49.50**	**...**	**44.69**	**44.69**	**...**	**62.71**	**62.71**
4. स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन तथा अन्य लाभ										
4.01 स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजनाएं	2235	...	191.87	191.87	...	211.93	211.93	...	214.55	214.55
4.02 स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मुफ्त रेलवे पास	2235	...	55.00	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00	55.00
जोड़		**...**	**246.87**	**246.87**	**...**	**266.93**	**266.93**	**...**	**269.55**	**269.55**
उत्तर पूर्वी क्षेत्र										
उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास										
5. उत्तर पूर्वी परिषद की योजनाएं	2552	69.20	...	69.20	64.19	...	64.19	64.76	...	64.76
	3601	125.02	...	125.02	98.19	...	98.19	141.10	...	141.10
	7601	11.46	...	11.46	9.91	...	9.91	12.21	...	12.21
	जोड़	*205.68*	*...*	*205.68*	*172.29*	*...*	*172.29*	*218.07*	*...*	*218.07*
6. आर्थिक महत्व वाली सड़कों का निर्माण/ सुधार	4552	52.40	...	52.40	59.00	...	59.00	60.00	...	60.00
7. भारतीय विद्युत ग्रिड निगम लिमिटेड	4552	3.52	...	3.52	13.27	...	13.27	...	...	...
	6552	5.00	...	5.00	7.24	...	7.24	35.00	...	35.00
	जोड़	*8.52*	*...*	*8.52*	*20.51*	*...*	*20.51*	*35.00*	*...*	*35.00*
8. उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	4552	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	6552	160.00	...	160.00	140.00	...	140.00	94.17	...	94.17
	जोड़	*160.00*	*...*	*160.00*	*140.00*	*...*	*140.00*	*94.17*	*...*	*94.17*
9. अन्य कार्यक्रम	4552	23.40	...	23.40	23.20	...	23.20	42.76	...	42.76
	6552	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*23.40*	*...*	*23.40*	*23.20*	*...*	*23.20*	*42.76*	*...*	*42.76*
जोड़-उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास		**450.00**	**...**	**450.00**	**415.00**	**...**	**415.00**	**450.00**	**...**	**450.00**
जेलें										
10. जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण	2056	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3601	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00
	जोड़	*7.00*	*...*	*7.00*	*7.00*	*...*	*7.00*	*7.00*	*...*	*7.00*
नागर विमानन										
11. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए आर्थिक सहायता	3053	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00
सड़कें और पुल										
12. जम्मू और कश्मीर में कर्जदारों के लिए कर्ज राहत योजना	3475	...	46.00	46.00	...	46.00	46.00	...	46.00	46.00
13. दिल्ली के दंगों से प्रभावित व्यक्तियों के लिए कर्ज राहत योजना	3475	...	4.40	4.40	...	3.25	3.25	...	0.25	0.25

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2000-2001 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
14. अन्य मदें	2056	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15
	2070	...	10.01	10.01	...	7.01	7.01	...	10.01	10.01
	2075	...	10.17	10.17	...	0.17	0.17	...	10.17	10.17
	2205	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2250	1.20	1.40	2.60	1.20	0.80	2.00	1.50	1.16	2.66
	2552	...	1.50	1.50	...	1.00	1.00	...	...	...
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*1.20*	*23.23*	*24.43*	*1.20*	*9.13*	*10.33*	*1.50*	*21.49*	*22.99*
कुल जोड़		***458.20***	***380.00***	***838.20***	***423.20***	***380.00***	***803.20***	***458.50***	***410.00***	***868.50***
ग. आयोजना परिव्यय*	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. जेलें	32056	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00
2. अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20	1.50	...	1.50
राज्य योजनाएं										
1. उत्तर पूर्वी क्षेत्र	43601	450.00	...	450.00	415.00	...	415.00	450.00	...	450.00
जोड़		**458.20**	**...**	**458.20**	**423.20**	**...**	**423.20**	**458.50**	**...**	**458.50**
इसमें निम्नानुसार निर्माण परिव्यय शामिल है:-						शून्य				

पुनर्वास :

1. **श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास** : भारत-श्रीलंका करार के अन्तर्गत, श्रीलंका में भारतीय मूल के लोगों को जिन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की गयी है, भारत को प्रत्यावर्तित किया जाना है तथा उन्हे राहत और पुनर्वास सहायता प्रदान की जानी है। यह बजट प्रावधान इन प्रत्यावर्तित लोगों को राहत तथा पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराने तथा अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यावर्तित सहकारी वित्त विकास बैंक से ऋण प्रदान करने और प्रत्यावर्तित लोगों के पुनर्वास कार्य में लगी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों दोनों को ऋण और अग्रिम राशि उपलब्धि कराने के लिए है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत रखी गयी मुख्य राशि का उपयोग श्रीलंका से आए उन शरणार्थियों को राहत सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा जो शिविरों में रह रहे हैं, साथ ही इसमें स्टाफ व्यय के लिए भी व्यवस्था की गयी है।

2. **अन्य देशों से वापस आने वाले व्यक्ति** : इसके अन्तर्गत बर्मा, तिब्बत, भूतपूर्व पश्चिमी तथा पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के संबंध में व्यय की व्यवस्था शामिल है। यह योजना भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के लिए भूमि-अधिग्रहण और अधिकार-पत्र वितरण से सम्बन्धित है।

3. **अन्य पुनर्वास कार्यक्रम** : इसमें 1971 के भारत-पाक युद्ध से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने तथा उनके पुनर्वास और अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यो के लिए व्यवस्था शामिल है। इसमें रिआंग शरणार्थियों तथा बोडो-संथाल संघर्ष में घायल हुए पीड़ितों को राहत प्रदान करने तथा उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था है।

4. **स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन तथा अन्य लाभ** : वर्ष 1972 में शुरू की गई स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना को समय-समय पर और उदार बनाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत, भूतपूर्व अंडमान राजनीतिक कैदियों, स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों के लिए पेंशन प्रदान की जाती है।

5. **उत्तर-पूर्वी परिषद की योजनाएं** : उत्तर-पूर्वी परिषद की स्थापना उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सात राज्यों का समेकित आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। यह परिषद संघटक एककों द्वारा अपने क्षेत्रों के विकास के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों में सहायता करती है और क्षेत्रीय आयोजना के दायरे में आने वाली समन्वित योजनाओं और परियोजनाओं को बढ़ावा देती है। वर्ष 2001-2002 का परिव्यय 450.00 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता है जिनमें कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र, जल, बिजली विकास, उद्योग और खनन, परिवहन और संचार, जनशक्ति विकास और सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं तथा सामान्य सेवाओं को शामिल किया गया है। "इस परिव्यय का एक बड़ा भाग राज्य के सा.नि.वि. द्वारा अन्तर्राज्यीय सड़कों के निर्माण, राज्य सरकारों के अधीन स्वास्थ्य और जनशक्ति संस्थाओं की विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा अवसंरचनात्मक विकास के लिए है।"

6. **आर्थिक दृष्टि से महत्व की सड़कों का निर्माण/सुधार कार्य** : क्षेत्र में यह कार्य सीमा सड़क संगठन के माध्यम से किया जाता है।

7. **भारतीय विद्युत ग्रिड निगम लि.** : भारतीय विद्युत ग्रिड निगम लि., जो पहले राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम (एन टी पी सी) था, को 5,000 करोड़ रुपए की प्रारम्भिक अधिकृत शेयर पूंजी से अक्तूबर 1989 में निगमित किया गया था ताकि विद्युत क्षेत्र में सभी भागीदारों के लाभ के लिए प्रचालित किए जाने हेतु देश के लिए एकीकृत पारेषण पद्धति स्थापित की जा सके और देश के संसाधनों का समयोचित उपयोग किया जा सके। निगम के लिए ई.एच.वी.ए.सी. और एच.वी.डी.सी. पारेषण लाइनों, उप-केन्द्रों, लोड डिस्पेचिंग केन्द्रों और संचार केन्द्रों का समन्वित और दक्ष ढंग से निर्माण करना अनिवार्य है ताकि केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से बिजली के बड़े ब्लाकों और राज्य बिजली बोर्डों से फालतू बिजली, यदि कोई हो, को विश्वसनीयता, सुरक्षा और मितव्ययिता के साथ क्षेत्र के अन्दर और बाहर स्थित लोड केन्द्रों में ले जाया जा सके। यह निगम वर्तमान में दो एन ई सी परियोजनाओं को लागू कर रहा है जिनके नाम हैं: नागालैंड में दोयांग पारेषण लाइन परियोजना और अरूणाचल प्रदेश में रंगानाधी पारेषण लाइन परियोजना।

8. **उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम लि.**: निप्को की स्थापना क्षेत्र में विद्युत शक्ति की सभी संभावनाओं के समेकित विकास की आयोजना करने, उसे बढ़ावा देने एवं व्यवस्थित करने के उद्देश्य से की गई है। यह निगम विद्युत विभाग के अन्तर्गत आता है।

9. **अन्य कार्यक्रम** : इसमें उत्तर-पूर्वी पुलिस अकादमी, उ. पू. क्षेत्र में पशु भोजन में आत्म-निर्भरता हेतु एकीकृत परियोजना पर होने वाले व्यय, उ. पू. क्षेत्र में वायु पत्तन के सुधार, क्षेत्रीय मेडिकल कालेज, उ. पू. क्षेत्रीय जल एवं भूमि प्रबन्धन संस्थान, आदि के लिए सहायता शामिल है।

10. **जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण** : इस योजना के अन्तर्गत, जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान, उनके द्वारा किए जाने वाले समनुरूप अंशदान के आधार पर प्रदान किया गया है। वर्ष 2001-2002 के लिए 7 करोड़ रुपए (जिसमें 0.80 करोड़ रुपये उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए निर्धारित करना शामिल है) का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

11. **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हेलिकॉप्टर सेवाओं के लिए आर्थिक सहायता** : इसमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हेलिकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता के भुगतान का प्रावधान किया गया है।

12. **जम्मू और कश्मीर में कर्जदारों के लिए कर्ज राहत योजना** : इसमें आर्थिक पैकेज के एक भाग के रूप में जम्मू और कश्मीर के कर्जदारों के लिए कर्ज से राहत प्रदान करने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत, व्यापार, पर्यटन, परिवहन और लघु उद्योग में लगे सभी कर्जदारों के पक्ष में 30 जून, 1996 की स्थिति के अनुसार 50,000 रु. से कम अथवा 50,000 रु. तक के बकाया ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

13. **दिल्ली के दंगों से प्रभावित व्यक्तियों के लिए कर्ज राहत योजना:** इसमें आर्थिक पैकेज के एक भाग के रुप में 1984 के दंगों से प्रभावित व्यक्तियों के लिए कर्ज से राहत प्रदान करने की व्यवस्था शामिल है। इस योजना के अन्तर्गत, सभी व्यक्तियों के ऋण प्रदान किए जाने के समय के 50,000 रु. राशि सहित और इसी राशि तक के बकाया ऋणों को बकाया ब्याज सहित बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

14. **अन्य मदें** : इसमें जागीरों के एवज में पेंशन, राष्ट्रीय एकता योजना, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में सिविल कार्रवाई कार्यक्रम के लिए रक्षा मंत्रालय को व्यय की प्रतिपूर्ति करने, राष्ट्रीय पहचान पत्र योजना, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में विज्ञापन तथा प्रचार (1.50 करोड़ रुपए) आदि की व्यवस्था है।